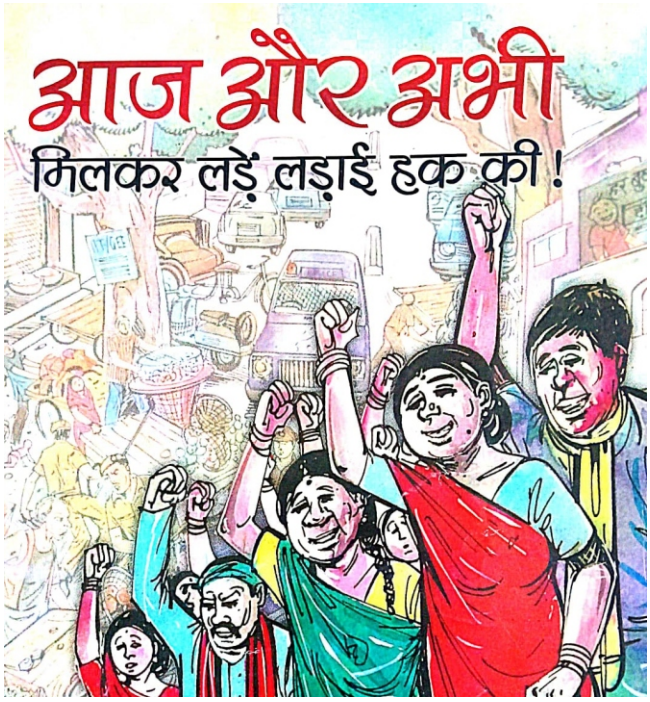

एक कदम संगठन की ओर.....

संगठनात्मक विकास

NASVI

स्ट्रीट वेंडर्स : संगठन, प्रशासन एवं कानून का क्रियान्वयन

प्रिय मित्रों,

स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 के बाद, बहुत हद तक इसका अनुपालन इस पर निर्भर करता है कि स्थानीय स्ट्रीट वेंडर संगठन कितना प्रभावी है।

टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC), शिकायत निवारण समिति (TVC), मीडिया में दृश्यता, विभिन्न विभागों से समन्वय व संपर्क आदि सभी स्थानीय स्ट्रीट वेंडर संगठन और उसके नेतृत्व पर निर्भर करते हैं।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी), स्ट्रीट वेंडर्सका एक राष्ट्रीय संघ होने के नाते इसकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर तक और राज्य स्तर पर जहां भी आवश्यक हो, पूरी की जाती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर बहुत सीमित है। स्थानीय स्तर पर, विशेष रूप से बहुत आवश्यक है कि एक लोकतांत्रिक और जवाबदेह संगठन बने एवं आंतरिक पारदर्शिता बनी रहे। यह मैनुअल स्थानीय पथ विक्रेता संगठनों को सशक्त बनाने के तरीकों और साधनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। साधनों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है।

याद रखें, संगठन एक दिन में नहीं बनते हैं। वर्षों के अनुशासन और कड़ी मेहनत से हम एक संगठन बना सकते हैं। लेकिन जब कोई संगठन एक संस्था बन जाता है, तो उसका जीवन, नेतृत्व से बहुत आगे होता है।

सौ फूल खिलने दो..... आजीविका की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए काम करें।

जय हिंद, जय भारत, जय नासवी

श्री अरबिंद सिंह
राष्ट्रीय समन्वयक,
नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (**NASVI**)

नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी)

प्रशिक्षण पुस्तिका

नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी), भारत के सभी स्ट्रीट वेंडर्स संगठनों को एक मंच पर लाकर सामूहिक संघर्ष के माध्यम से नीतिगत परिवर्तन लाने हेतु प्रयासरत है। नासवी की शुरुआत एक नेटवर्किंग संगठन के रूप में किया गया था, मगर तीव्र विस्तार के कारण नासवी को नवंबर 2003 में एक औपचारिक रूप दिया गया। भारत के 25 राज्यों के 1000 संगठनों से 10,52,318 स्ट्रीट वेंडर्स नासवी के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली एवं पंजीकृत कार्यालय पटना में है। नासवी ने शहरी फेरी वालों की राष्ट्रीय नीति 2004 से लेकर स्ट्रीट वेंडिंग कानून 2014 को बनवाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, यहां तक कि कोविड–19 महामारी में भी नासवी के निरंतर वकालत के फलस्वरुप ही **प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (स्वनिधी)** लागू की गई। अब नासवी उक्त कानून व योजना को राज्यों में अनुपालन हेतु प्रयत्नशील है। नासवी के अपील पर ही पूरे देश में **20 जनवरी को स्ट्रीट वेंडर्स दिवस मनाया जाता है।**

शहरीकरण एवं स्ट्रीट वेंडर्स का समावेश

यदपि शहरीकरण ने असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किये, लेकिन जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे है वैसे वैसे हम नई जटिलता व समस्याओं का जाल अपने इर्दगिर्द बुनते चले जा रहे हैं। इसके समाधान के लिए हम भटकते रहते है और हम अंत में वहीं आ जाते है जहाँ से हमने शुरूआत किया था। ऐसे मुद्दे हैं–स्ट्रीट वेंडिग, कचड़ा प्रबंधन, आवास, परिवहन व यातायात इत्यादि। यद्यपि स्ट्रीट वेंडर्स न केवल रोजगार का एक माध्यम है बल्कि इससे शहरी नागरिकों को उनके रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएँ भी सस्ते व सर्वसुलभ स्थानों पर उपलब्ध हो पाती है। शहरों में इनकी संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है। पूरे भारत में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या लगभग दो करोड़ है। महानगरों की जनसंख्या का 2.5% स्ट्रीट वेंडर्स है। **स्ट्रीट वेंडर यानि एक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सड़क, गली पगडंडी, फुटपाथ, सार्वजनिक पार्क या सार्वजनिक स्थल पर आम जनता के रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएँ, खाद्य पदार्थ को एक अस्थायी निर्मित संरचना से या जगह–जगह घूमकर या निजी क्षेत्र में सस्ते दामों पर उपलब्ध या बेचना या सेवाएँ प्रदान करता है।** अतः शहरी अर्थव्यवस्था में इनके योगदान के मद्देनजर इनको पहचान देना तथा नियमन एवं समावेश करना अपेक्षित है।

स्ट्रीट वेंडर्स के ज्वलंत मुद्दे :

- सौदर्यकरण के नाम पर उजाड़ या बेदखली करना
- रोजगार का नियमन के वजाय अतिक्रमणकारी घोषित करना
- पुलिस ,नगर निकायों व जिला प्रशासन द्वार सामान जब्ती, शोषण
- रोजगार का स्थाई जगह चिन्हित नहीं होना (वेंडिंग जोन)
- संगठन व एक जुटता की कमी
- सामाजिक सुरक्षा एवं क्षमतावर्धन नहीं होना
- प्राकृतिक व मौसम सम्बन्धी समस्या

संबैधानिक आधार :

स्ट्रीट वेंडिंग अपराध नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत फेरी लगाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। नासवी के अनथक संघर्ष व प्रयासों के फलस्वरूप शहरी अर्थ व्यवस्था में स्ट्रीट वेंडर्स को समावेस एवं रोजगार को सुरक्षित व संरक्षित करने के लिए पहली बार **शहरी फेरी वालों की राष्ट्रीय निति –2004,** केंद्रीय सरकार के द्वारा पारित की गई। जब ऐसा प्रतीत होने लगा की यह नीति अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही है तो नासवी ने एक सशक्त कानून के लिए पुनः देश व्यापी लामबंदी की एवं **स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका सुरक्षा व स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम 2014** को पारित करवाया जो अपने आप में एक अनूठा है।

नासवी का प्रयास है की स्ट्रीट वेंडर्स उक्त कानून के माध्यम से संगठित रूप से अपने रोजमर्रा की समस्या से निपट सकें। शहरों में बढ़ते हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यवसाय व्यवस्था का विकास कर सकें। इसके लिए संगठन निर्माण प्रक्रिया एवं नेतृत्व को मजबूत करना आवश्यक है।

किसी भी संगठन को चलाने के लिए तीन महत्वपूर्ण स्तम्भ की जरुरत है –

(क) संगठनात्मक व्यवस्था
(ख) नेतृत्व– संचालन
(ग) वित्तीय व्यवस्था

(क) संगठनात्मक व्यवस्था स्ट्रीट वेंडर्स को संगठन क्यों जरुरी है

- **स्ट्रीट वेंडर्स** को संगठन की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि जब सरकार, प्रशासन या असमाजिक तत्वों का हमला होता तब वेंडर्स पेरशान होते है।
- हमले के समय संगठन बनाने का प्रयास करते हैं जबकि सच्चाई यह है कि संगठित रहने पर हमलावर कई बार सोचता है या हमला ही नहीं करता है।
- एक मार्केट या कार्य स्थल पर सभी तरह के दुकानदारों, कामगारों को एक जुट होकर रहना चाहिए। इसे संगठन कहते हैं। यह संगठन बाजार स्तर, शहर स्तर व राज्य स्तर पर हो सकते हैं।

जिसे क्रमशः मार्केट कमीटी, टाउन लेवल फेडरेशन, स्टेट लेवल फेडरेशन का नाम दिया जा सकता है

संगठन कैसे बनेगा

मार्किटकमिटी

किसी नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी बाजार/फूटपाथ क्षेत्र/फेरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर आपस में मिलकर एक कमिटी (औसत 100वेंडर) का गठन करेंगे यह समिति मार्किट कमीटी कहलाएगी। उक्त मार्किट कमीटी अपने लिए एक कार्यकारिणी समिति का गठन करेंगे, जो 11 सदस्यों की होगी। इस समिति में 1 अध्यक्ष, 1

उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 1उपसचिव एवं 1 कोषाध्यक्ष सहित 6 कार्यकारिणी सदस्य होंगे। जिसमें महिला सदस्यों की उपस्थिति भी आवश्यक है। यह समिति मार्किट में अपने सदस्यों के साथ एक मासिक बैठक करेगी।

शहर स्तरीय संघ : टाउन लेवल फेडरेशन (TFL)

शहर स्तरीय फेडरेशन, मार्किट कमीटी के सदस्यों के प्रतिनिधियों का एक बड़ा समूह है जो शहर स्तर पर स्ट्रीट वेंडरों के नियमन एवं उनके मुद्दों के लिए कार्यरत है। प्रत्येक मार्किट कमीटी के सदस्य अपने दो प्रतिनिधि का चुनाव कर शहर स्तरीय फेडरेशन के लिए नामित करते है। ये सदस्य आपस में मिलकर शहर स्तरीय फेडरेशन के कार्यकारिणी समिति का गठन करते हैं। जो 15 से 21 सदस्यों का हो सकता है।

राज्य स्तरीय संघ : स्टेट लेवल फेडरेशन (SFL)

शहर स्तरीय फेडरेशन का एक व्यापक व विस्तृत संरचना जो राज्य स्तर पर कार्यरत होगी, राज्य स्तरीय फेडरेशन कहलाएगी। सभी नगर निकायों या शहरों के स्तर पर गठित शहर स्तरीय फेडरेशन के सदस्यों को मिला कर राज्य स्तरीय फेडरेशन का गठन होगा, जिसका पंजीकरण आवश्यक रूप से होगा। यह एक महासंघ के रूप में स्ट्रीटवेंडर्स के मुद्दे के लिए शीर्ष निकाय का काम करने तथा राज्य स्तर पर उन्हें सहायत व तथा प्रोत्साहन देगा।

संगठन द्वारा निम्नलिखित फायदे उठाया जा सकता है –

- पुलिस, नगर–पालिका, बड़े दुकानदारों, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतारणा के मामले में।
- उजाड़ की स्थिति में
- सदस्यों के लिए वेंडिग जोन का निर्माण में
- स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दों पर टाउन वेडिंग कमिटि (TVC), जिला प्रशासन नगर निकाय इत्यादि को प्रभावित करना
- सदस्यों की मदद से प्रभावशाली योजना बनाने एवं उसका क्रिर्यान्वयन
- सरकारी एवं अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना।
- सदस्यों का क्षमता विकास उनके जीविका को मजबूत करने के लिए एवं उनका उद्मिता बढ़ाने मे।
- मार्केट कमिटि को मजबूत एवं निरंतर काम करते रहने के लिए उनको सहयोग एवं अनुश्रवण मे।

संगठन में महिला स्ट्रीट वेंडर्स प्रतिनिधि की जरुरत : स्ट्रीट वेडर्स में महिला स्ट्रीट वेडर्स की स्थिति ज्यादबदतर है। अतः उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कार्यकारिणी में 1/3 आरक्षण रखना चाहिए।

संगठन कैसे चलेगा:

किसी भी संगठन को पांच "क" को मूल सिद्धांत पर चलना होता है।

1. कार्यकर्ता– काम करने के लिए लोग व सदस्य
2. कार्यक्रम– संगठन के लिए गतिविधि, जैसे – बैठक,वकालत, लामबंदी, अपनी मांगो को रखना
3. कार्यालय – बैठक स्थल,लेटर पेड, मोहर, दस्तावेज रखने का जगह
4. कार्यशैली – काम करने के तरीके,
5. कोष– आर्थिक संसाधन, हिसाब किताब

1. कार्यकर्ता– काम करने के लिए लोग व सदस्य

संगठन की सदस्यता

संगठन को चलाने के लिए सदस्यों की जरुरत होती है। मार्किट कमीटी में बाजार के सभी वेंडर्स को सदस्य बनाना चाहिए। यही सदस्य मार्किट कमीटी के लिए कार्यकारणी का चुनाव करेंगे। कई मार्किट कमीटी के चुने हुए सदस्यों को मिला कर शहर स्तरीय संघ बनता है। सदस्यता की शर्तों को पूरा करने पर किसी भी सदस्य को वोट देने का अधिकार होगा। सदस्य के रूप में नामित शहर में सभी मार्किट समिति सदस्यों को टीएलएफ के ''आम सभा सदस्य'' के रूप में माना जायेगा। मार्केट कमीटी में सदस्यता टीएलएफ में सदस्यता के लिये बुनियादी मानदंड हैं। स्ट्रीट वेडर्स मार्केट कमीटी के जरिये टीएलएफ में शामिल होने के पात्र हैं।

मार्केट कमीटी सदस्य को एक न्यूनतम राशी (टी.एल.एम. द्वारा निर्धारित) वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करके टीएलएफ में सदस्यता के लिये आवेदन देना पड़ेगा। वार्षिक सदस्यता का नवीनीकरण कराया जा सकता है।

2. कार्यक्रमः संगठन के लिए गतिविधि

- ☑ अपने नियमों एवं कानूनी प्रवधानों के अनुसार निरंतर बैठक करना
- ☑ टीएलएफ में आम सभा का साल में कम से एक बार बैठक करनी चाहिये जिसमें कार्यकारिणी की ओर से प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट को आम सभा द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- ☑ सदस्यों में जगरूकता अभियान करना।
- ☑ आने वाले मुद्दों के बारे में अंदाज लगाना एवं सामाधान का प्रयास करना
- ☑ सूचना का संग्रह करना, जानकारी लेना तथा सदस्यों तक पहुचाना
- ☑ कार्य प्रगति का अनुश्रवण एवं समीक्षा
- ☑ सदस्यों के सेवा हेतु समय रहते नियोजन
- ☑ स्ट्रीट वेडर्स के जीविका संबंधित अवसरों को पहचानना तथा उन अवसरों से जोड़ना।
- ☑ आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ☑ गतिविधियों के सहयोग के लिए आपसी पुँजी को बढ़ावा देना।
- ☑ सरकार शहरी विकास विभाग एवं गैर–सरकारी संस्थाओं से संबंध स्थापित करना।
- ☑ शहर के अन्य समुदाय आधारित संगठन या समान विचारधारा वाले संगठन के साथ तालमेल स्थापित करना।

आम सभाः टीएलएफ के सभी सदस्य को मिलाकर आम सभा का गठन होता हैं। कम से कम वर्ष में एक बार आम सभा की बैठक की जानी चाहिए। सभी मार्केट कमीटी सदस्य जो टीएलएफ के सदस्य है वह आम सभा के सदस्य होंगे। आम सभा की बैठक में मार्केट कमिटि के प्रतिनिधि प्रतिनिधत्वकरेगें। टीएलएफ की एक कार्यकारिणी कमिटि होंगी। हर मार्केट कमीटी से भी प्रतिनिधित्व को शामिल किया जा सकता है लेकिन टीएलएफ में यह प्रतिनिधित्व 21 होना चाहिये।

3. कार्यालय

- ☑ संगठन का एक निश्चित बैठक (मिटिंग) एक खास जगह और समय पर होनी चाहिए, ताकि सभी को याद रहे।
- ☑ संगठन का एक लेटर–पेड, बोर्ड तथा मीटिंग रजिस्टर होना चाहिए।
- ☑ शुरुवाती दिनों में किसी खास जगह को चिन्हित कर उसी को वही से काम शुरू करना चाहिए

4. कार्यशैली – काम करने के तरीके

मीटिंग करने का सही तरीका

- ☑ सामूहिक क्रियाकलाप को बढ़ावा देना, यानि किसी कार्यक्रम या गतिविधि में सभी सदस्यों को शामिल करने के लिए प्रेरित करना अच्छा रहता है।
- ☑ आवश्यकतानुसार सामान प्रकृति व उद्देश्य वाले संगठनों के साथ ताल मेल बनाना ठीक रहता है। परस्पर सहयोग की भावना रखना।
- ☑ काम में पारदर्शिता रखना यानी कोई भी निर्णय सामूहिक या कार्यकारणी की बैठक में लेना।

5. कोष – आर्थिक संसाधन

- ☑ संगठन को चलाने के लिए पैसे की जरुरत होती है। शुरुवाती दिनों में सदस्यता शुल्क से ही काम शुरू करना ठीक होता है–
- ☑ खर्चों के लिए संगठन का एक फंड हो, जिसका खाता किसी बैंक में हो।
- ☑ खाता चलाने के लिए चुने हुए दो सदस्यों का संयुक्त हस्ताक्षर जरूरी होता है।
- ☑ संगठन के फंड को बढ़ाने के लिए सोच–विचार करना होगा।
- ☑ यह जरूरी होता है कि संगठन के हिसाब–किताब साफ–साफ हो तथा प्रत्येक बैठकों में इस पर चर्चा हो।
- ☑ संगठन की आमदनी एवं खर्चा का सलाना रिपोर्ट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराकर तथा आम सभा का सलाना रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन वाली संस्था को भेजा जाना चाहिए।
- ☑ इससे कानूनी नियंत्रण (STATUTARY REGULATION) रहता है।

यहाँ यह समझना जरुरी है की संगठन में इतनी ताकत होते हुए भी संगठन क्यों नहीं चल पाते

क्मजोर संगठन/संगठन टूटने के कारण

मीटिंग करने का ये सही तरीका नहीं

- ☑ निश्चित समय पर मीटिंग न होना।
- ☑ संगठन के फैसले मिल कर न लेना।
- ☑ जरूरत के वक्त कार्यक्रम या अन्य सहयोग न करना।
- ☑ किसी खास नेता पर निर्भर रहना। कई बार नेता ज्यादा बोझ होने पर परेशान हो जाते है कि संगठन में समय देकर उनकी जिन्दगी बर्बाद हो रही है।
- ☑ कई बार शिकायतें संगठन में न रखकर बाहर दुसरों से चर्चा करना।
- ☑ सदस्यों के मुद्दों को प्राथमिकता न देना।
- ☑ फंड के मामले में साफ–साफ पारदर्शिता नहीं करना।
- ☑ कई बार सदस्य चंदा देना है। अपना काम समझते हैं, बाकि काम नेताओं का है ऐसे सोचते है।
- ☑ कई बार संगठन के सदस्य अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभाते।
- ☑ कई बार स्वार्थी लोग अपने लाभ के लिए आपके संगठन में घुस कर उसे खोखला करने लगता है।
- ☑ सदस्यों के बीच जिम्मेदारियों का बंटबारा नही होना तथा दूसरे संगठनों से जरूरत के अनुसार सहयोग नही रखना।

संगठन का पंजीकरण: स्ट्रीट वेंडर्स संगठन को सहकारिता सहयोग समिति अधिनियम या सोसाइटि रजीस्ट्रेशन अधिनियम 1860 या ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत पंजीकृत करना चाहि, सरकार, समिति व संघ को चलाने के लि, समय–समय पर मार्गदर्शन देती रहती है। राज्य स्तरीय महासंघ में विभिन्न शहरों के फेडरेशन से चयनीत लोग सदस्य होते हैं। इसका एक अलग नियमावली बनता है। प्रत्येक पंजीकरण संगठनों को वार्षिक आम सभा व कार्यकारिणी की तिमाही बैठक अवश्य करने चाहिए, बैठक से पूर्व पत्र लिखकर सभी सदस्यों को सूचित करने चाहिए।

(ख) नेतृत्व– संचालन

नेतृत्व व नेत्रित्वकर्ता क्यों जरुरी है

शहर गतिशील होते है, निरंतर बदलते रहते है, नये क्षेत्रों में फैलाव होता है, नये लोग जीवन – यापन के लिए शहर में आते रहते है। सरकारी नितियों और कार्यक्रमों में तेजी से परिवर्तन होते रहते है। शहर के खबरों के बारे में मीडिया अति सक्रिय होता है। बड़े लोगो का दबदबा होता है। जमीन माफिया काफी सक्रिय होते है। नगर निकाय में बाह्यय प्रभाव लाया जाता है। कभी–कभी कोई निकाय राजनीति का अड्डा बन जाता है, जिला प्रशासन और नगर निकाय के समन्वय के अभाव में बाजार उजड़ जाते है, वेंडर्स को जानकारी भी नहीं और उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश आ जाते हे। इसका सीधा मतलब है कि एक साधारण वेंडर्स इन सारे मुद्दों को अकेला समझ नहीं सकता और उसका सामाधन भी नहीं कर सकता। अतः संगठन बनाना एक अच्छा विकल्प है। यदि हम चाहते हैं, कि शहर वेंडर्स के लिए साकारात्मक हो तो हमें दूरदृष्टि एवं सरकार और बाजार के ताकतों को प्रभावित करना होगा। एक अच्छा नेत्रित्वकर्ता हमेशा ही संगठन को वरीयता देता है। कोई भी काम संगठन व सदस्यों के हित में करता है।

नेत्रित्वकर्ता कैसे मदद करेगा
नेतृत्व व नेत्रित्वकर्ता निम्न कार्य करता है

- संगठन अपने आप में एक बड़ी ताकत है। यह शासन से लेकर सरकार से बात करने के सक्षम है।
- संगठन का नेत्रित्वकर्ता (लीडर) अपने मार्किट का आग्यावान होता है।
- वो मार्किट के अन्य सदस्यों को जनता है, उनकी क्षमता को पहचानता है। इस आधार पर वो संगठन में किसी को कोई जिम्मेवारी दे सकता है।
- वह नगर निकाय या प्रशासन के समक्ष वेंडर्स के मुद्दों को रखता है।
- उनको कानून, योजना की समझ होती है। वह सरकार को पत्र लिखता है या लिखवाता है।
- कई बार वो खुद का दुकान बंद कर के भी अपने मार्किट सुरक्षा के लिए जरुरत अनुसार कहीं आता जाता है।
- जरुरत के अनुसार वह दुसरे लोगो के साथ तालमेल बनता है, निर्णय लेता है, एवं बाजार के लोगो को दिशा निर्देश भी देता है।
- वह भविष्य के बारे में भी सोचता है एवं दूसरे लोगों को भी मौका देता है।
- वह मार्किट को उजड़ने से बचाने, बाजार के व्यवस्थित करने के लिए कार्य करता है।
- वेंडर्स के सर्वेक्षण, पहचान पत्र दिलवाने एवं बैठेने में मदद करता है।

इसके अतिरिक्त व्यवहारिक तौर पर एक नेत्रित्वकर्ता निम्न कार्य कर सकता हैः–

- ☑ कार्यकारिणी संघ और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन व नेतृत्व उप समितियों का गठन। कार्यकारिणी को हर महीने प्रगति की निगरानी।
- ☑ हर विषय/मुद्दे/कार्रवाई के लिए एक तीन सदस्यीय समिति को बढ़ावा।
- ☑ समिति का नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति को नामित करना जाएगा।
- ☑ कार्य तय किये जाएंगे और उस कार्य को पूरा करने के लिए मानदंड तय करना।
- ☑ उप समिति की योजना बनानी होती है और उसका कार्यान्वयन करना या करवाना।

महत्वपूर्ण उप–समितियां

- ☑ जागरूकता समिति
- ☑ कानूनी अधिकार समिति
- ☑ रोजगार विकास समिति
- ☑ वित्तीय समावेशन समिति
- ☑ मिडिया समिति

☑ किये गये कार्यों की रिपोर्ट तैयार कर उसे कार्यकारिणी से अनुमोदन के लिए को प्रस्तुत करना।
☑ समिति के सदस्यों को बराबर जिम्मेदारी देना।

नेत्रित्व व सोशल मीडिया

सोशल मीडिया (Social Media) एक ऐसा **मीडिया** है, जो बाकी सारे **मीडिया** जैसे अखबार, टेलीविजन व अन्य से अलग है जो इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल वर्ल्ड (आन लाइन प्लेटफार्म) बनाता है जिसे उपयोग करने वाला व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि का उपयोग कर अपनी बात पूरी दुनिया को बता सकता है । वर्तमान में नेत्रित्वकर्ता अपने संगठन को एवं वेंडर्स के मुद्दे को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार व समाज के नजर में लाते है इससे खूब फायदे भी मिलते है।

वॉट्स्ऐप : वॉट्स्ऐप एक प्रकार का तुरंत संदेश भेजने और प्राप्त करने वाला मोबाइल ऐप है, इसमें लोग अपने स्मार्ट मोबाइल के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से संदेश के साथ साथ आवाज, छवि और अपना लाइव लोकेशन भी भेज सकते हैं। इसके द्वारा वॉइस और विडीयो कॉल भी किया जाता है, जिसमें इंटरनेट का डेटा इस्तेमाल होता है। इसमें समूह बनाकर एक साथ कई लोगो को सन्देश भेजा जा सकता है।

फेसबुक (Facebook) इन्टरनेट पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्क सेवा है जिसके माध्यम से इसके सदस्य अपने मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ संपर्क रख सकते हैं। सामाजिक हित में एक बड़ा अभियान भी चलाया जाता है।

ट्विटरः यह फेसबुक की तरह निःशुल्क सामाजिक नेटवर्क है जहाँ सिमित शब्दों में आप अपने प्रोफाइल बनाकर जानकारी साझा कर सकते है। यह आज के तारीख में बहुत ही उपयोगी सेवा मानी जाती है। इसके मदद से जानी मानी हस्तियाँ आसानी से अपने फैन्स और फॉलोअर्स से रूबरू हो सकती हैं।

इंस्टाग्राम : यह भी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप दूर रह कर भी अपनों के करीब रह सकते हैं। इस ऍप या वेबसाइट के जरिये अपने बिजनेस के दायरे को बढ़ाने का भी एक अच्छा साधन है। इसकी मदद से आप लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा सकते हैं. दूसरे आसान शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं की इंस्टाग्राम की मदद से हर कोई अपनी एक अलग पहचान बना सकता है. लोग इस पर अपने हुनर से सम्बंधित पेज बना कर सफलता के मार्ग पर चल सकते हैं।

संक्षेप में संगठन व नेतृत्व के जरुरत व महत्व को इस तरह से समझे

संगठन–. मार्केट कमिटि के रूप में हो या शहर स्तरीय बाजार, वेंडर्स के रोजमर्रा के संघर्ष में मदद के लिए है। प्रायः यह देखा जाता है की शुरुवात तो ठीक होती है परन्तु धीरे–धीरे मार्केट कमीटी का उत्साह कम होने लगता है एवं विखरने लगते हैं यहाँ तक कि कमीटी के नाम पर लोग स्ट्रीट वेडर्स के एक दो नेता को पहचानते हैं और कमीटी को करीब–करीब भूल ही जाते है।

अतः यदि इन मार्केट कमिटियों को कोई सुत्र में एक साथ पीरो सके तो यह मार्केट कमिटि निरंतर चलते रहेगें यह सुत्र मार्केट कमीटी व प्रतिनिधियों के द्वारा गठित शहरी स्तरीय संघ हो सकता है। जिसे प्रशासन भी सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, अतः यह संघ वेंडर्स का शहर स्तर पर आवाज बुलन्द करने का काम करेगा। यह संघ प्रशासन एवं सरकार से बात करने के लिए एक औपचारिक मंच बन जाएगा।

शहर स्तरीय संघ बनाने का उद्देश्य शहर के सारे मार्केट कमीटीयों का साथ लाना है ताकि वे सदस्यों के बेहतरी के लिए काम कर सके। यह लोगों को उनके मुद्दों का पहचान, उनपर चर्चा, विचार, एवं संभावित उपाय को ढुढ़ने में मदद करेगे। यह संघ आनेवाली समस्या का भी पहचान करेगा। स्ट्रीट वेंडर्स अपने मार्केट कमिटि के माध्यम से इसका सदस्यता लेंगे। संघ का मुख्य सेवाए सिर्फ सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा मगर कुछ सेवाएं गैर सदस्य (वेंडर्स)

को भी दिया जा सकता है।

शहर स्तरीय संघ का सवांद के लिए महत्वः जरूरत एवं महत्व

कई बार अधिकारियों का जिलाधिकरी एवं नगर निकाय के मूख्य कार्यकारी का शहरों में स्थान्तरण होता है। जहां मुद्दे थोड़े अलग होते है और उसमें उसके सामाधान भी अलग होते है। शहरों में संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। मगर किसी संरचना (संघ) के आभाव में जब सड़को पर आराजकता गंदगी, इत्यादि देखते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि किससे बात करे। यदि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोई सामाधान भी लाते है तो उन्हें लागू करने का तरीका पता नहीं होता। कई बार ऐसे जगहों पर मार्केट बना दिया जाता है जहां स्ट्रीट वेडर्स जाना नहीं चाहते है। ठीक इसके विपरित स्ट्रीट वेडर्स, नगर निकाय एवं जिला प्रशासन को समझ नहीं पाते है। उनको लगता है कि वे काफी मेहनत करते है। कई बार 13–14 घंटे कार्य करते है। सरकार पर कोई बोझ नहीं डालते है। वे सस्ते सामान लोगों के सुविधाजनक जगहों पर उपलब्ध कराते है। वे किसानों एवं छोटे करखानों के माल विक्री कराते है। और उन्हें आगे बढ़ाने के बदले सरकार उन्हें खत्म करने पर तुली है। उन्हें शहर का हर बुराई के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है। जैसे ट्रैफिक जाम, सड़को पर गंदगी होना, चोरी, क्राईम, महिलाओं के साथ बदतमीजी, पड़ोस में चोरी। अपने व्यवसाय में व्यस्त होने एवं सामाज द्वारा इन इलजामों के कारण उन्हें अलगाव का सामना करना पड़ता है और सामाज के हासिय पर खड़े रहते है।

अतः यह शहर स्तरीय संघ जिला प्रशासन एवं नगर निकाय, टीवी सी इत्यादि से संवाद के लिए एक संगठित संरचना होगा।

महासंघ की संरचना

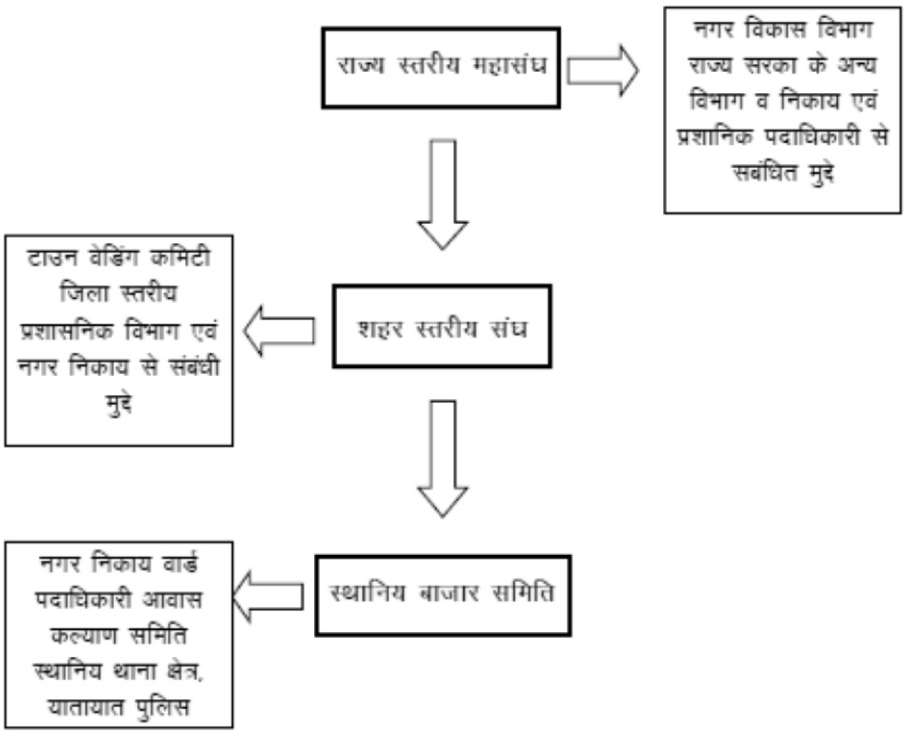

(ग) वित्तीय व्यवस्था

कोष का संग्रह (Mobilization of fund)

कोई भी संगठन चलाने के लिए कोष (धन) की जरूरत होती है। कोष हमें विभिन्न कारणों के लिए चाहिए।

- ☑ संगठन के गतिविधियों के लिए
- ☑ सम्मेलन करने के लिए
- ☑ विभिन्न कार्यकाल में आपनी मांगों को लेकर जाने के लिए
- ☑ खुद का कार्यालय स्थापित करने एवं उसके संचालन हेतु
- ☑ किसी सदस्य या मार्केट में समस्या का कानूनी समाधन के लिए
- ☑ किसी सदस्य को आर्थिक मदद के लिए

ज्यादातर देखा गया कि स्ट्रीट वेडर्स को जब आकास्मिक कोई समस्या आता है तब संगठन बनता है एवं पैसे इक्ठ्ठा कर संघर्ष या गतिविधियाँ किया जाता है। जहां संगठन है वहां भी ज्यादातर समय पैसे आकस्मिक कारणों से उत्पन्न समस्यों को निपटने के लिए किया जाता है। संगठन का कोष नहीं रहने के स्थिति में संगठन कमजोर हो जाता है।

कोष का प्रबंधन (Management of fund) :

वेंडर्स का संगठन मजबूत होने के लिए कोष का प्रबंधक सही होना चाहिए। पैसे का कुप्रबंधन एवं अपारदर्शीता के कारण संगठन बदनाम एवं कमजोर हो जाता है। अतः संगठन के पदाधिकारियों को यह विशेष जिम्मेवारी बनती है कि कोष का संचालन जिम्मेवारी तरीखे से हो। फलतः हमें निम्नाकित नियमों का अवश्य पालन करना होगा।

संगठन का बैंक खाता में नाम दो या तीन व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए। कोशिश करे की कम से कम एक महिला का नाम हो। बैंक खाता किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होना चाहिए चाहे वह व्यक्ति कितना भी ईमानदार एवं कर्मठ हो। पैसा संगठन का होता है। न कि किसी व्यक्ति विशेष का।

- ☑ बिना रसीद काटे किसी से किसी प्रकार का पैसा ना ले।
- ☑ पैसे का खर्च संगठन के काम में करे एवं खर्च का ब्योरा विस्तारित रूप से रखें।
- ☑ खर्च का हिसाब अपने कमीटी को समय–समय पर जरूर दे।

अतः यह आवश्यक है कि हर संगठन का कोष हो। कोष निम्नलिखित तरीका से बनाया जा सकता है।

- ☑ वार्षिक सदस्यता शुल्क
- ☑ गतिविधि हेतु चंदा संग्रह
- ☑ प्रति दिन चंदा
- ☑ सामूहिक गतिविधि से लाभ
- ☑ अनुदान –किसी व्यक्ति, संगठन एवं सकरार से

खाताबही का रख–रखाव (Maintenance of books of Accounts) :

संगठन के मजबूती के लिए अति आवश्यक है कि पैसा का हिसाब सही एवं सुरक्षित तरीके से रखा जाय।पैसा प्राप्ति के बाद संगठन के सदस्य को पावती/प्राप्ती रसीद उस व्यक्ति विशेष या संगठन को अवश्य दे जिन्होंने पैसे दिये है। नीचे पावति/प्राप्ती रसीद का प्रारूप दर्शाया गया है।

मांग अधिग्रहण (Requisiton) : जब आप कुछ खर्चा करना चाहते है तो सचिव के द्वारा होने वाले खर्चा का अनुमानित ब्योरा लिखकर संगठन के अध्यक्ष से पारित (Approval) करवायें।

Money Receipt

ABC (Name of Vendor's Organization) .....

Address .....

No. ..... Date : .....

Received with thanks from Mr./Mrs./Miss .....

The sum of Rupees .....

Cash/cheque/Draft No ..... Dated .....

On account of .....

Rs. ...../- **For ABC**

Treasure

भुगतान वाउचर – हर भुगतान के साथ उसका सहायक विपत्र होना चाहिए और वो खर्च और भुगतान को मंजूरी प्राप्त होना चाहिए। भुगतान वाउचर का प्रारूप नीचे दर्शाया गया है।

PAYMENT VOUCHER **Date. .....**

Debit ABC	Amount
Registered Address with Pin Code	
Total Rs.	

Amount in word Rupees .....

Approved By Accountant Received by

रोकड़ बही में भुगतान के तुरंत बाद भुगतान की प्रविष्टि हो जानी चाहिए और रोज रोकड़ बही बंद होना चाहिए। रोकड़ बही में बायी ओर आये हुए रूपया की प्रविष्टि होती हैं और दायी ओर खर्च की प्रविष्टि होती है। रोकड़ बही में प्रारभिक शेष बायी ओर उपर लिखा होता है। और अंतिम शेष दायी ओर नीचे लिखा होता है। रोकड़ बही का सत्यापन किसी दूसरे व्यक्ति से होगा जो रोकड़ बही न लिखता हो से करवाना चाहिए। रोकड़ बही का प्रारूप नीचे दर्शाया गया है।

प्रथम पेज (प्राप्ति पक्ष)

दिनांक	भुगतान	खाता संख्या	राशी	कुल

द्वितीय पेज (भुगतान पक्ष)

दिनांक	भुगतान	खाता संख्या	राशी	कुल

रोकड़ बही लिखने के बाद उसको खाता बही में प्रकिष्टि किया जाता है। रोकड़ बही का प्रारूप नीचे दर्शाया गया है।

बही खाता संख्या

दिनांक	विवरण	एफ ओ	राशी	दिनांक	विवरण	एफ ओ	राशी

खाता का अंकेक्षणः—खाता बही का अंकेक्षण अंकेक्षक के द्वारा हर वित्तीय वर्ष की समाप्ती पर किया जाना चाहिए। सात वर्षो तक तक खाता बही, रोकड़ बही और अन्य बही को संभाल कर रखना चाहिए।

कार्य योजना एवं बजटः—हर वित्तीय वर्ष शुरूआत होने के पहले एक साल का कार्य योजना और बजट बना लेना चाहिए ताकि कार्य सूचारू रूप से चल सके।

घाटा प्रबंधनः—अगर कोई भी घाटा होता है तो खर्चे को कम करना चाहिए और आय को बढ़ाना चाहिए और अगर कोई निवेश हो तो उसकी रिहा करा लेना चाहिए ताकि कार्य में किसी प्रकार का दिक्कत न आए।

बैंक खाता का रख—रखावः—सबको खाता बैंक में रखना चाहिए और 9999 रु० में से अधिक भुगतान चेक के माध्यम से ही होना चाहिए। किसी भी तरह के रोकड़ की प्राप्ति होती है तो उसे बैंक में जमा कर देना चाहिए।

साधन का आंवटनः—हर गतिविधि का अनूसूची के साधन का आवंटन कार देना चाहिए।

उत्पादक राजस्वः—सदस्यता/चंदे के द्वारा ही उत्पादन राजस्व किया जाना चाहिए।

स्ट्रीट वेंडर्स(आजीविका सुरक्षा व स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम 2014

स्ट्रीट वेंडिंग कानून 2014, भारत के करोड़ों वेंडर्स को संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा, रोजगार की सुरक्षित नियमित एवं नियंत्रण करने हेतु भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। एक केंद्रीय कानून है। यह कानून स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 के नाम से जाना जाता है जो समस्त भारत में 1 मई 2014 से प्रभावी है—

मुख्य आकर्षण

- नगर निकाय आयुक्त/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में टाउन वेंडिग कमीटी का गठन
- प्रत्येक पांच साल में वेंडरों का सर्वेझण
- टाउन वेडिग कमीटी द्वारा वेंडिग प्रमाण पत्र जारी करना।
- सर्वेझण होने एवं प्रमाण—पत्र जारी होने तक वेंडर्स को हटाया नहीं जायेगा।
- टाउन वेडिग कमीटी (TVC) में 40% प्रतिनिधि फुटपाथ दुकानदार
- स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कल्याणकारी योजना बनाना
- ाकायत निवारण कोषांग ,वं न्याय संबंधित समिति बनाना
- विधयेक का प्रावधान कोई भी मालिकाना अधिकार नहीं प्रदान करता है।

कानून 2014 के मुख्य प्रावधान—

टाउन वेंडिग कमीटी (टीवीसी) का गठन

☑ अधिनियम में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में नगर विक्रय समिति टाउन वेंडिग कमीटी (टीवीसी) का गठन करने का प्रावधान
है जिसकी इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में मुख्य भूमिका होगी।

☑ इसमें ऐसी व्यवस्था है कि नगर विक्रय समिति (टीवीसी) में 40% सदस्य स्ट्रीट वेडर्स में से लिए जाएँगे। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जिनमें से एक तिहाई महिलाएँ होगी।

☑ टाउन वेंडिग समिति में स्वयं सेवी संगठनों एवं सामुदायिक आघारित संगठन से 10प्रतिशत से ज्यादा सदस्य नहीं होगे।

☑ भागीदारी से निर्णय लेने के लिए टी.वी.सी. में स्ट्रीट वेंडिग से संबंधित सभी कार्यों जैसे

प्राकृतिक बाजार का निर्धारण, विक्रय क्षेत्रों की पहचान, पथ विक्रय योजना तैयार करना, पथ–विक्रेताओं का सर्वेक्षण आदि शामिल करना आवश्यक है।

- ☑ प्रत्येक 5 वर्ष पर टाउन वेंडिगकमिटी के अनुशंसा पर स्थानीय प्राधिकार अनुसूची1 के तहत वेण्डर्स के निहित अधिकार के योजना हेतु एक कमिटी बना सकती है।

स्ट्रीट वेंडर्स कासर्वेक्षण व वेंडिग प्रमाण पत्र

- ☑ इस अधिनियम में सभी स्ट्रीट वेडर्स का सर्वेक्षण करना आवश्यक है और बाद में प्रत्येक पाँच वर्ष में कम से कम एक बार और सर्वेक्षण करने की व्यवस्था है
- ☑ साथ ही ऐसे सर्वेक्षण में पहचाने गए जिसकी आयु 14 वर्ष पूरी हो चुकी है सभी स्ट्रीट वेडर्स को विक्रय करने का प्रमाण–पत्र व पहचान पत्र जारी करने का भी प्रावधान है
- ☑ विक्रय प्रमाण–पत्र जारी करने में अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्कों आदि को प्राथमिकआ दी जाएगी।
- ☑ वेंडिग प्रमाण पत्र के जारी करने के पूर्व प्रत्येक स्ट्रीटवेण्डर्स को एक वचन पत्र टाउन वेंडिग कमीटी को देना होगा।
- ☑ स्ट्रीटवेण्डर्स की मृत्यु होने पर वेडर्स प्रमाण पत्र उसके जीवनसाथी या उनके आश्रित के बच्चें को स्थानातंरित किया जा सकता ।
- ☑ टाउन वेंडिग कमीटी, के क्षेत्र के अंतर्गत संख्या से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स होने की स्थिति में एक प्रकाशनार्थ जारी कर सकता है।

स्ट्रीट वेंडर्स का पुर्नस्थापित या बेदखल

- ☑ यह व्यवस्था की गई है कि जब तक सर्वेक्षण पूरे नहीं कर लिए जाते और स्ट्रीट वेडर्स को वेंडिग प्रमाण–पत्र जारी नहीं कर दिए जाते किसी स्ट्रीट वेडर्स को बेदखल नहीं किया जाएगा।
- ☑ शहर में वेंडिग जोन का अवस्थापना विकास करस्ट्रीटवेण्डर्स को कारोबार करने की व्यवस्था है।
- ☑ फेरी प्रमाण पत्र जारी होने के बाद 30 दिन पूर्व सूचना दिये बगैर किसी भी वेण्डर्स को उनके स्थान से स्थानातंरण या हटाया नहीं जा सकता ।
- ☑ यदि कोई वेण्डर्स नियम उल्लंधन और विधेयक में वर्णित नियम को नहीं मानता है तो टाउन वेंडिग कमीटी वेंडर्स का वेडर्स प्रमाण पत्र निरस्त या स्थगित कर सकता है ।
- ☑ नए स्थान पर बसाने, बेदखल करने और सामान को जब्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उसे स्ट्रीट वेडर्स के अनुकूल बनाया गया है। यह प्रस्तावित है कि टीवीसी की सिफारिश की आवश्यकता
  शर्त पर ही स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यह कार्रवाई की जाएगी।
- ☑ स्ट्रीट वेडर्स को पुनः बसाने के लिए अंतिम प्रयास किया जाना चाहिए। तदनुसार ''पुनः बसाने'' के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत अधिनियम की दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं।

स्वतंत्र विवाद निपटान तंत्र (GRC)

- ☑ असंतुष्ट स्ट्रीट वेडर्स को अधिकार है कि उनके मामले के निष्पादन के पहले स्थानीय प्राधिकार के समक्ष उनके मामले को रखा सुना जायेगा।
- ☑ स्ट्रीट वेंडर्स के किसी प्रस्ताव या झगड़ा टाउन वेंडिगकमिटी सिविल जज की अध्यक्षता में एक

न्यायिक दण्डाधिकारी एवं दो अन्य न्याय संबंधी का कमिटी बनाया जा सकता है। परंतु कोई भी सरकारी सेवक या स्थानीय प्राधिकार के सदस्य को कमिटी का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है।

शुल्क,दंड व जब्ती,

- ☑ प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिग हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा एवं वेंडिग शुल्क के नवीनीकरण हेतु शुल्क का भुगतान करना होगा।
- ☑ वेंडिग शुल्क सभी उन स्ट्रीट वेंडर्स को देना होगा जिनको कि वैघ वेंडिग प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि तक जारी किया गया है। प्रमाण पत्र का नवीनीकरण भुगतान शुल्क राशि जमा करने पर ही होगा।
- ☑ प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर्स जो फेरी क्षेत्र में कार्यरत है उन्हें वेंडिग प्रमाण पत्र के नियम एवं शर्तें को मानना होगा एवं प्रमाण पत्र पुलिस एवं अन्य प्राधिकार द्वारा प्रताड़ना से बचाव करेगा।
- ☑ अगर कोई वेण्डर्स वेंडिग प्रमाण पत्र का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उन्हें 2000/रु. जुर्माना लगाया जाएगा।
- ☑ स्थानीय प्राधिकार द्वारा किसी भी वेण्डर्स की सामानों की यदि जब्ती, जो कि उसी दिन खराब हो सकती है वैसे सामान को उसी दिन निर्मुक्त किया जायेगा।
- ☑ प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिग क्षेत्र एवं इसके आसपास की सफाई, जन स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाएं एवं सार्वजनिक सम्पति का ध्यान रखना होगा एवं समय–समय पर दिये जाने वाले सुख सुविधा का ध्यान रखना होगा।
- ☑ विधयेक का प्रावधान आपको कोई भी मालिकाना अधिकार इत्यादि नहीं प्रदान करता है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

स्ट्रीटवेंडर्स(आजीविका सुरक्षा व स्ट्रीटवेंडिंगविनियमन) अधिनियम 2014 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को अधिकृत किया जो नगर निकायों के साथ मिलकर उन्हें सहयोग करते है। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है ताकि शहरी गरीब परिवारों की गरीबी एवं उनकी कठिनाईयों को दूर किया जा सके। 'शहरी पथ विक्रेता को सहायता प्रदान करना' राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) का एक घटक है जिसका उद्देश्य बहु दृष्टिकोण के माध्यम से शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता प्रदान करना है। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैः–

- ☑ पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण करना
- ☑ पहचान–पत्र एवं सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी करना
- ☑ स्ट्रीट वेंडिग योजनाएँ तैयार करना
- ☑ शहर में वेंडिग जोन का निर्माण करना
- ☑ प्रशिक्षण और कौषल विकास
- ☑ ऋण सुलभता – प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना या अन्य
- ☑ समाजिक सुरक्षा योजनाओं को लिंकेज (जुड़ाव)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रथम चरण की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2.0 विस्तारित करने का निर्णय किया है।

स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम - 2014 के कार्यान्वयन के चरण

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014

↓

राज्य सरकार धारा 36 के तहत नियम बनाये।	शहरी विकास विभाग - प्रमुख सचिव
नियम के अनुसार, नगर निगम टाउन वेंडिंग कमेटी (टी.बी.सी. का गठन करेगी।)	नगर निगम
टी.वी.सी. ने विचार और उनके सुझावों के बाद, राज्य सरकार धारा 38 के तहत योजना बनाएगी।	शहरी विकास विभाग - प्रमुख सचिव
धारा 38 के तहत, राज्य सरकार योजना को सूचित करेगी।	शहरी विकास विभाग - प्रमुख सचिव
नगर निगम रेहड़ी पटरी वालो का सर्वेक्षण करेगा। उसके लिए वो बाहरी स्रोत (प्राइवेट एजेंसी) से सर्वे करवा सकता है या खुद भी कर सकते हैं।	नगर निगम/राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.य.एल.एम)
सर्वेक्षण को टीवीसी द्वारा निर्देशित/अनुमोदित किया जाया जाएगा।	नगर निगम/राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.य.एल.एम)
सर्वेक्षण किए जाने तक 3.3 के अनुसार कोई भी रेहड़ी पटरी वाले को हटाया नहीं जाएगा।	नगर निगम/राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.य.एल.एम)
सर्वेक्षण किए गए रेहड़ी पटरी वालों को पहचान पत्र दिया जाएगा।	नगर निगम/राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.य.एल.एम)
टी.वी.सी के दिशा निर्देश अनुसार स्ट्रीट वेंडिंग प्लान तैयार और अनुमोदित किया जाएगा	नगर निगम/राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.य.एल.एम)
जिन रेहड़ी पटरी वालों का सर्वेक्षण हो गया है उन्हें वेंडिंग ज़ोन में वेंडिंग का प्रमाण पत्र के साथ स्थान दिया जाये	नगर निगम/राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.य.एल.एम)
विभिन्न योजनाएं जैसे वित्तीय संबंध योजना और सामाजिक सुरक्षा योजना के साथ रेहड़ी पटरी वालों को जोड़ा जाए।	नगर निगम/राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.य.एल.एम)
शुद्ध पेयजल, शौचालय, बाल देखभाल, स्ट्रीट लाइट, आदि जैसे वेंडिंग ज़ोन में बुनियादी अवसंरचना प्रदान की जानी चाहिए।	नगर निगम/राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.य.एल.एम)

प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना

(स्वनिधि योजना – आवेदन पूर्व तैयारी, पात्रता व प्रक्रिया)

COVID–19 के गंभीर खतरों को देखते हुए पूरे देश मे लॉक डाउन किया गया। महामारी के खतरो से खुद को बचाते हुए स्ट्रीट वेंडर्स ने शहरी वितरण व्यवस्था मे सप्लाइ चेन को टूटने नहीं दिया एवं नागरिकों के रोजमर्रा की जरूरतों को उनके दरवाजे तक मुहैया करवाए। हालांकि, इस दौरान ये आर्थिक रूप से बहुत अधिक प्रभावित हुए।

नासवी इन स्ट्रीट वेंडर्स के आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों और COVID–19 महामारी के कठोर परिणामों को दूर करने के लिए व्यथित रहा । आर्थिक सहायता हेतु सरकार से निरंतर प्रयास किए गए। 1 जुलाई 2020 से लागू इस योजना का लाभ लेने के लिए राष्ट्रिय पोर्टल http://pmsvanidhi-mohua-gov-in पर स्वम या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवेदन करें। नगर निकाय (ULB) / टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का निर्धारण करेगी। पात्र वेंडर्स की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगीः

- नगर निकायों (ULB) से वेंडिंग / पहचान पत्र का प्रमाण पत्र रखने वाले वेंडर्स
- वेन्डर्स जिनका सर्वे हो गया लकीन वेंडिंग सर्टिफिकेट / आइडेंटिटी कार्ड जारी नहीं किया गया है, उन्हें नगर निकाय (ULB) द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग प्रदान किया जाएगा।
- वे वेंडर जिनका सर्वेक्षण नहीं हुआ है उन्हें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन (LoR) जारी किया गया है, वे पात्र हैं।

आवेदन पूर्व – प्रक्रिया :

- राष्ट्रिय पोर्टल के लिंक http://pmsvanidhi-mohua-gov पद से अपना नाम सर्वेक्षण सूची में जांचें और अपना सर्वेक्षण संदर्भ संख्या (एसआरएन) नोट करें।
- आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपलोड करने के लिए वेंडिंग सर्टिफिकेट (CoV) / लेटर ऑफ रिकमेंडेशन (LOR) या पहचान पत्र की प्रति अपने पास रखें या फोटो खिच कर रखे।
- यदि आप सर्वेक्षित वेंडर्स नहीं है तो पहले लेटर ऑफ रेकोमेंडसान के लिए आवेदन करे, आप को एक प्रोविशनल CoV/ LoR जारी किया जाएगा।
- अपना आधार लिंक मोबाइल न. एवं बैंक खाता को अपने साथ रखे।
- यदि आधार कार्ड मोबाइल लिंक नहीं है तो पहले उसे लिंक करवाए।
- उसी मोबाइल न. उपयोग करे जो आधार लिंक हो एवं बैंक खाते से लिंक हो। मोबाइल न. न बदले।

आवेदन प्रक्रिया :

- सबसे पहले आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट http%//pmsvanidhi-mohua-gov पर जाए ।
- अप्लाई लोन पर क्लिक करे। अपना मोबाइल नंबर डाले जो आधार से लिंक है ।
- मोबाइल पर आए OTP (One Time Password) को डाले।

- अपना आधार नंबर डाले जो आपके फोन से लिंक है ।
- फॉर्म मे सारे जानकारी को भरे। (जैसे– नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, वेंडिंग प्लेस, औसत मासिक बिक्री, डिजिटल भुगतान इत्यादि)
- उस वेंडर्स श्रेणी का चयन करें जिसके लिए आप पात्र हैं। A, B और C

A. जिनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल गया है ।
B. जिनका सर्वे हो गया है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं मिला है।
C. जिनका सर्वे नहीं हुआ व ना सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं मिला हो ।

- अपना बैंक खात संख्या का, बैंक का नाम भरे और IFSC कोड डाले।
- आवश्यक विवरण भरने के बाद फॉर्म जमा करें दे। एप्लिकेशन की प्रति का प्रिंट अपने पास रखे।

यदि फिर भी कोई परेशानी हो तो आप अपने नगर निकाय मे संपर्क करें।

वेंडर्स को मानवाधिकार आयोग कैसे मदद करेगा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधीन की गई थी। आयोग किसी पीड़ित अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर किसी याचिका पर स्वयं सुनवाई एवं कार्यवाही कर सकता है।आयोग में शिकायत दर्ज कराना अत्यंत सरल कार्य है। शिकायत निःशुल्क दर्ज की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रतिवर्ष देश में मानवाधिकारों की स्थिति से सम्बन्धित एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है।राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रतिवर्ष प्रतिवेदन सम्बद्ध राज्य की विधान सभा के सम्मुख रखा जाता है।

साधारणतः, आयोग द्वारा स्वीकृत की जाने वाली मानवाधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी याचिकाओं की प्रकृति इस प्रकार की होनी चाहिए–

1. घटना शिकायत करने से एक वर्ष से अधिक समय पूर्व घटित होनी चाहिए।
2. शिकायत अर्द्ध–न्यायिक प्रकार की होनी चाहिएय
3. शिकायत अनिश्चित, अज्ञात अथवा छंद्म नाम से होनी चाहिए।
4. उपभोक्ता सेवाओं एवं प्रशासनिक नियुक्तियों से सम्बन्धित मामले।

अतिक्रमण के नाम पर वेंडरों को उजाड़ा जाए तो - क्या करें

पहला कदम – घबराकर भागे नहीं । हिम्मत से काम ले। एक बार आप उनको विफल कर देंगे तो दुबारा आपके बाजार में आने के पहले वो बार बार सोचेंगे। आप स्थल पर संगठित होकर एकत्रित हो।

↓

सभी वेंडर्स प्रशासनिक टीम के पास आये ताकि आपका संख्या एवं दृढ़ निश्चय का उन्हें अहसास हो . आप प्रशासनिक टीम / अधिकारी से वार्तालाप करें

↓

अक्सर प्रशासनिक टीम कहते है की उनके पास ऊपर से ऑर्डर है। आप उनसे ऑर्डर की कॉपी माँगिये और आप अपने कागजात दिखाइए। उन्हें बताये की आप अतिक्रमण क्षेत्र में नहीं है,

↓

बल्कि नगर निकाय ने उक्त स्टाल पर वेंडिंग के लिए CoV दिया है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की बिना टाउन वेण्डिंग कमिटी का अनुशंसा का वे हमें नहीं हटा सकते है ।

↓

उनसे संवाद कीजिये। बात चीत से समझाइये। उन्हें निकाय द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाण पत्र , पहचान पत्र या पत्र तो दिखाए। (यदि केवल सर्वेक्षण हुआ है या नहीं हुआ है तो उन्हें कानून की प्रति दिखाए खास कर धारा 3.3)

↓

यदि अधिकारी सामान जब्त कर रहे है तो घटना का वीडियो बनाये व समान सुरक्षित करें, याद रहे कि किसी किस्म का हात्ता पाई या मारपीट पे आप नहीं उतरे। यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। प्रत्येक मार्केट विडीओ बनाने का जिम्मेदारी पहले से तय करे

↓

मीडिया का मोबाइल नंबर रखे व फोन करके उन्हें घटना स्थल पर बुलाएँ

↓

पुलिस / अतिक्रमण अधिकारी से सामान जब्ती रशीद मांगे , गाड़ी नंबर इत्यादि नोट करें

↓

मीडिया को लिखित सुचना भी भेजे, उच्च अधिकारी को संगठन के माध्यम से पत्र लिखे व उसकी प्राप्ति अपने पास रखे, यह भविष्य में काम आता है

NASVI

नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी)

304, मौर्या टॉवर, मौर्या लोक काम्प्लेक्स, बेली रोड, पटना 800 001 फोन : 0612– 220772
प्रथम तल्ला, सागर काम्प्लेक्स, न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग , नई दिल्ली –110092
फोनः 011– 47553013, Email : office@nasvinet-org, Website : www-nasvinet-org
@nasviindia